आयोजनागत

संख्या:218/XXVIII-1-2005-98/2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
अप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2005

विषय : राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ढालवाला (टिहरी गढ़वाल) के अनावासीय भवन निर्माण (वार्ड रहित) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-214/चि.-1-2004-98/2003 चिकित्सा अनुभाग-1 31 मार्च, 2004 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजकीय आयर्वेदिक चिकित्सालय-ढालवाल (जनपद टिहरी) मे अनावासीय भवन निर्माण हेतु उ0प्र0 जलनिगम द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रू0 3.10 लाख (रूपये तीन लाख दस हजार मात्र) के आगणन पर वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। :-

2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों को जो दों शिडयूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवयक होगा एवं स्वीकृत मानक से अधिक किसी भी दशा में न होगा।

3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति मानक है स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5- एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

7- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण अच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण समाग्री

को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली समाग्री को प्रयोग में लाया जाय।

8- कार्य कराते समय सी. एण्ड डी.एस. जलनिगम ऋषिकेश द्वारा गठित के स्वीकृत विशिष्टयों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी का होगा।

09- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- 800 अन्य व्यय -91 - जिला योजना-01-राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-24 बृहत निर्माण कार्य की सुसंगत ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

09- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1547/वि.अनु.-2/2004-05 दिनांक 14.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या:214(1)/XXVIII-1-2005-98/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, माजरा, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, टिहरी।
3. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकार, टिहरी।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर, यूनिट-19सी.एण्डडी. सर्विसेज, उत्तरांचल जल निगम, ऋषिकेश।
5. गार्ड फाईल/एन.आई.सी.।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव